



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प 17(07)परि/2020

जयपुर, दिनांक:-

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय जयपुर।

विषय:-NEET-2020 परीक्षा में परीक्षार्थियों को किराये में छूट दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-आपके पत्रांक एफ-4/मु/यात्रा/लेखा/0/2020/846 दिनांक 03.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राज्य में दिनांक 13.09.2020 को संपन्न होने वाली NEET-2020 परीक्षा के लिए शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को निम्नानुसार निःशुल्क बस यात्रा राजस्थान परिवहन निगम की साधारण/दुतगामी वाहनों में प्रदान किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह निःशुल्क यात्रा केवल दिनांक 13.09.2020 के लिए उपलब्ध होगी। यात्रा परीक्षा केन्द्र वाले शहर तक तथा इस शहर से वापिस जाने के लिए की जा सकती है।
2. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने तथा परीक्षा से वापिस आने के लिए होगी।
3. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी। उसके परिवार के अन्य सदस्यों को नियमानुसार टिकिट लेना होगा।
4. यह सुविधा प्रदान करने के लिए परीक्षार्थियों को अपने NEET-2020 परीक्षा का प्रवेश पत्र बस के परिचालक/टिकिट काउण्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा, ताकि 0.00 राशि की टिकिट बनाई जा सकें।
5. यदि परीक्षार्थियों के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने तथा वापिस आने के लिए सीधी बस उपलब्ध नहीं हो तो वे एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से आना ही होगा।
6. परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग, यात्रा के दौरान मास्क की पालना पूर्ण रूप से करनी होगी। हैण्ड सेनेटाइजर साथ में रखने की सलाह दी जाती है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:- 11/09/2020

क्रमांक:- प 17(07)परि/2020

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री परिवहन, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. निदेशक वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, रारापपनि मुख्यालय जयपुर।
9. कम्प्यूटर सैल, परिवहन आयुक्त कार्यालय जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर
संयुक्त शासन सचिव

707



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक:- प 17(07)परि/2020

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय जयपुर।

विषय:- NEET-2020 परीक्षा में परीक्षार्थियों को किराये में छूट दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यकारी निदेशक (यातायात) के पत्रांक मुख्या/याता/लेखा/2020/867 दिनांक 11.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार राज्य में दिनांक 13.09.2020 को संपन्न होने वाली NEET-2020 परीक्षा के लिए शामिल होने वाले, सभी परीक्षार्थियों को निम्नानुसार निःशुल्क बस यात्रा राजस्थान परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी वाहनों में प्रदान किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक प.17 (07)/परि/2020 दिनांक 11.09.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए पुनः संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह निःशुल्क यात्रा केवल दिनांक 12.09.2020 से 14.09.2020 के लिए उपलब्ध होगी। यात्रा परीक्षा केन्द्र वाले शहर तक तथा इस शहर से वापिस जाने के लिए की जा सकती है।
2. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने तथा परीक्षा से वापिस आने के लिए होगी।
3. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी। उसके परिवार के अन्य सदस्यों को नियमानुसार टिकिट लेना होगा।
4. यह सुविधा प्रदान करने के लिए परीक्षार्थियों को अपने NEET-2020 परीक्षा का प्रवेश पत्र बस के परिचालक/टिकिट काउण्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा, ताकि 0.00 राशि की टिकिट बनाई जा सके।
5. यदि परीक्षार्थियों के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने तथा वापिस आने के लिए सीधी बस उपलब्ध नहीं हो तो वे एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से आना ही होगा।
6. परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग, यात्रा के दौरान मास्क की पालना पूर्ण रूप से करनी होगी। हैण्ड सेनेटाइजर साथ में रखने की सलाह दी जाती है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:- 11.09.2020

क्रमांक:- प 17(07)परि/2020

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री परिवहन, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. निदेशक वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, रासपनि मुख्यालय जयपुर।
9. कम्प्यूटर सैल, परिवहन आयुक्त कार्यालय जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर

संयुक्त शासन सचिव